



कार्यालय रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (मध्य कमान), 1 करियप्पा मार्ग, लखनऊ छावनी-226002
Office of the Principal Controller of Defence Accounts (Central Command)
1, Cariappa Road, Lucknow Cantt - 226002

सं. : सं. एवं प./2927/क्षे.प्र.के./2017-18

दिनांक: 19/01/2018

सेवा में
प्रभारी अधिकारी,

- | | |
|--|--|
| (1) स.ले. प. अ.(भ. भं.) झाँसी | (5) स. ले. प. अ.(भ. भं.) चकेरी, कानपुर |
| (2) वे.ले.का.(अ.श्रे.) 39 जी टी सी वाराणसी | (6) वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ |
| (3) स. स्था. ले. प. अ. वाराणसी | (7) स्था. ले. प. का.(भं) ओ डी फोर्ट इलाहाबाद |
| (4) स्था. ले. प. अ. (भं.) कानपुर | (8) संबंधित अनुभाग, मुख्य कार्यालय लखनऊ |


विषय लखनऊ .के.प्र.क्षे :प्रशिक्षण: 'सेवानिवृत्ति लाभों' पर पाठ्यक्रम ।

निम्नलिखित अधिकारियों/कर्मचारियों को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार दिनांक 24/01/2018 एवं 25/01/2018 को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में उपरोक्त विषय पर प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया गया है:

क्र.सं.	नाम (श्री)	लेखा सं.	पदनाम	कार्यालय
1	नाथु राम	8326527	व. ले. प.	स.ले.अ.(भ. भं.) झाँसी
2	कमला शंकर बिन्द	8326250	MTS	वे.ले.का.(अ.श्रे.) 39 जी टी सी वाराणसी
3	पी आर उपाध्याय	8319991	व. ले. प.	स. स्था. ले. अ. वाराणसी
4	आर बी निनोरिया	8318771	व. ले. प.	स्था. ले. अ. (भं.) कानपुर
5	जी के द्विवेदी	8321570	पर्यवेक्षक	मुख्य कार्यालय लखनऊ
6	प्यारे रोहित कुमार	8305220	व. ले. प.	स.ले.अ.(भ. भं.) चकेरी, कानपुर
7	जग प्रसाद	8340558	S/MNG	वे.ले.का.(अ.श्रे.) सै. चि. द. लखनऊ
8	दीपांकर लाहिड़ी	8319034	व. ले. अ.	मुख्य कार्यालय लखनऊ
9	देवेंद्र प्रकाश	8331305	व. ले. प.	स.ले.अ.(भ. भं.) झाँसी
10	वी के सक्सेना	8319156	पर्यवेक्षक	मुख्य कार्यालय लखनऊ
11	एन के सक्सेना	8313172	व. ले. प.	मुख्य कार्यालय लखनऊ
12	राम कृपाल	8322230	व. ले. प.	स्था. ले. प. का.(भं) ओ डी फोर्ट इलाहाबाद


2. सक्षम प्राधिकारी के द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रशिक्षण से छूट या अनुपस्थिति के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. अधिकारियों/कर्मचारियों को अपने कार्यालय से कार्य-मुक्त करके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, लखनऊ में प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए निर्देशित किया जाए।
4. यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता वर्तमान नियम के अनुसार स्वीकार्य है।


व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

प्रतिलिपि:

- (1) प्रशासन 1अ अनुभाग : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- (2) प्रशासन V अनुभाग : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- (3) क्षे. प्र. के. लखनऊ : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
- ✓(4) स्वचलन कक्ष : कार्यालय के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।


व. लेखा अधिकारी (सं. एवं प.)

क्र.सं.	नाम	पद	पता	सं. एवं प.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12